भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2380

सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

निवल उधार सीमा

2380. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा निर्धारित निवल उधार सीमा क्या है और पिछले पॉच वर्षों के दौरान राज्यों की वास्तविक उधारी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पॉच वर्षों के दौरान राज्यों की गैर-बजट उधारी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निवल उधारी सीमा निर्धारित करते समय गैर-बजट उधारी को समायोजित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सभी राज्यों की वार्षिक निवल उधार सीमा (एनबीसी) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निवल उधार सीमा का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य-वार वास्तविक खुला बाजार उधार **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

(ख) से (घ): राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष साधनों द्वारा ऑफ-बजट उधारियों जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाए जाने हैं, के उदाहरण, वित्त मंत्रालय के संज्ञान में आए थे। कुछ राज्यों द्वारा इस तरह की उधारियों से एनबीसी को दरकिनार करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मार्च 2022 में निर्णय लिया गया और राज्यों को सूचित किया गया कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष उपकरणों द्वारा उधार, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से और/या करों/उपकर या किसी अन्य राज्य के राजस्व के आवंटन द्वारा चुकाया

जाना है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत सहमति जारी करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा स्वयं किए गए उधार के रूप में माना जाएगा।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष उपकरणों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक ऑफ-बजट उधार का ब्योरा, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से और/या करों/उपकर के आवंटन या राजी सरकारों द्वारा घोषित किसी अन्य राज्य के राजस्व से चुकाया जाना है, **अनुबंध-III** में संलग्न है।

****

दिनांक 04.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2380 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राज्यों की निवल उधार सीमा (एनबीसी) का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुमानित जीएसडीपी का एनबीसी @ 3%	अनुमानित जीएसडीपी का एनबीसी @ 4%	अनुमानित जीएसडीपी का एनबीसी @ 3.5%	अनुमानित जीएसडीपी का एनबीसी @ 3%	अनुमानित जीएसडीपी का एनबीसी @ 3%
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	30,305	42,472	44,574	43,760	49,217
2	अरुणाचल प्रदेश	855	1,175	1,325	1,441	1,435
3	असम	11,216	15,084	17,310	16,212	18,882
4	बिहार	19,384	27,179	27,615	25,807	26,893
5	छत्तीसगढ़	10,749	14,324	15,013	15,241	17,048
6	गोवा	2,677	3,280	3,148	2,933	3,270
7	गुजरात	52,224	71,938	71,163	76,189	83,409
8	हरियाणा	25,759	33,682	31,572	32,713	35,985
9	हिमाचल प्रदेश	5,259	6,701	6,311	6,342	6,551
10	झारखंड	10,589	14,179	13,124	12,039	13,972
11	कर्नाटक	54,108	68,853	76,343	77,020	85,858
12	केरल	27,130	36,087	32,439	32,442	37,512
13	मध्य प्रदेश	28,473	41,442	44,136	45,412	45,667
14	महाराष्ट्र	92,364	1,15,184	1,10,626	1,15,914	1,17,238
15	मणिपुर	904	1,441	1,524	1,262	1,498
16	मेघालय	1,162	1,534	1,351	1,364	1,476
17	मिजोरम	789	1,225	1,423	863	1,037
18	नागालैंड	941	1,429	1,246	1,363	1,211
19	ओडिशा	17,147	21,803	23,175	26,017	28,485
20	पंजाब	18,196	22,951	22,044	20,628	23,716
21	राजस्थान	32,774	41,487	42,856	47,974	50,634
22	सिक्किम	934	1,525	1,415	1,420	1,577
23	तमिलनाडु	57,759	80,627	83,955	78,298	87,176
24	तेलंगाना	30,102	43,138	42,728	43,000	48,879
25	त्रिपुरा	1,781	2,447	2,664	2,506	2,666
26	उत्तर प्रदेश	58,216	69,979	71,688	70,844	82,542
27	उत्तराखंड	8,427	10,467	8,620	9,871	10,789
28	पश्चिम बंगाल	40,724	55,289	58,461	51,113	55,094

दिनांक 04.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2380 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों की वास्तविक खुला बाजार उधारी का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	50,896	46,443	57,478	68,400	78,205
2	अरुणाचल प्रदेश	767	563	559	902	1,010
3	असम	15,030	12,753	17,100	18,500	19,000
4	बिहार	27,285	28,489	36,800	47,612	47,546
5	छत्तीसगढ़	13,000	4,000	2,000	32,000	24,500
6	गोवा	3,354	2,000	1,350	2,550	1,050
7	गुजरात	44,780	31,054	43,000	30,500	38,200
8	हरियाणा	30,000	30,500	45,158	47,500	49,500
9	हिमाचल प्रदेश	6,000	4,000	14,000	8,072	7,359
10	झारखंड	9,400	5,000	4,000	1,000	3,500
11	कर्नाटक	69,000	59,000	36,000	81,000	92,025
12	केरल	28,566	27,000	30,839	42,438	53,666
13	मध्य प्रदेश	45,573	22,000	40,158	38,500	63,400
14	महाराष्ट्र	69,000	68,750	72,000	1,10,000	1,23,000
15	मणिपुर	1,302	1,476	1,422	1,426	1,500
16	मेघालय	1,777	1,608	1,753	1,364	1,882
17	मिजोरम	944	747	1,315	901	1,169
18	नागालैंड	1,721	1,727	1,854	2,551	1,550
19	ओडिशा	3,000	-	-	-	20,780
20	पंजाब	32,995	25,814	45,500	42,386	40,828
21	राजस्थान	57,359	51,149	46,057	73,624	75,185
22	सिक्किम	1,292	1,511	1,414	1,916	1,951
23	तमिलनाडु	87,977	87,000	87,000	1,13,001	1,23,625
24	तेलंगाना	43,784	45,716	40,150	49,618	56,209
25	त्रिपुरा	1,916	300	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	75,500	62,500	55,612	97,650	45,000
27	उत्तराखंड	6,200	3,200	3,200	6,300	10,400
28	पश्चिम बंगाल	59,680	67,390	63,000	69,910	76,500

दिनांक 04.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2380 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

राज्य सरकारों द्वारा घोषित ऑफ बजट उधारी का वर्ष-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6,288	1,976	613	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3	असम	239	853	1,102	542
4	बिहार	520	687	53	-
5	छत्तीसगढ़	618	2,283	780	584
6	गोवा	77	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-
8	हरियाणा	21	22	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
10	झारखंड	-	-	-	-
11	कर्नाटक	2,350	4,029	-	5,438
12	केरल	14,312	6,709	4,688	983
13	मध्य प्रदेश	533	564	374	568
14	महाराष्ट्र	-	2,500	7,700	13,990
15	मणिपुर	-	293	228	109
16	मेघालय	-	64	6	12
17	मिजोरम	-	-	-	-
18	नागालैंड	-	-	39	-
19	ओडिशा	-	-	-	-
20	पंजाब	770	484	1,675	4
21	राजस्थान	-	-	-	-
22	सिक्किम	454	121	-	-
23	तमिलनाडु	595	1,121	1,560	28
24	तेलंगाना	35,258	9,597	2,546	2,697
25	त्रिपुरा	-	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	3,951	3,488	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-
28	पश्चिम बंगाल	1,089	1,089	-	-